R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड VIII ◆ अंक 2
अगस्त 2011

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी.सुब्बाराव ने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ एक बैठक में 26 जुलाई 2011 को वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा प्रस्तुत की। उसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

अनुमान

- वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 8.0 प्रतिशत पर बनी रही।
- मार्च 2012 के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) मुद्रास्फीति का आधारगत अनुमान संशोधित होकर 7.0 प्रतिशत रहा।

रूझान

- ब्याज दर का एक वातावरण बनाए रखना जो मुद्रास्फीति में नरमी लाए और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को नियंत्रित रख सके;
- विकास की प्रवृति अत्यधिक नीचे गिरने के जोखिम का प्रबंध करना;
- यह सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि का प्रबंध करना कि वित्तीय प्रणाली पर अत्यधिक दबाव डाले बिना मौद्रिक अंतरण प्रभावी बना रहे।

मौद्रिक उपाय

- बैंक दर को 6.0 प्रतिशत पर बनाए रखा गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर में 50 आधार बिन्दुओं की बढ़ोतरी करते हुए इसे 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.0 प्रतिशत किया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 7.0 प्रतिशत पर स्वत: समायोजित किया गया।
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर जो रिपो दर के ऊपर 100 आधार बिंदुओं के अंतर पर निर्धारित की गई उसे 9.0 प्रतिशत पर पुन: रखा गया।
- अनुसूचित बैंकों की नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 6.0 प्रतिशत पर बना रहा।

अपेक्षित परिणाम

मौद्रिक नीतिगत कार्रवाईयों से निम्नलिखित परिणाम अपेक्षित हैं :

(i) माँग पर पूर्व में की गई कार्रवाईयों का संचयी प्रभाव प्रबल होगा;

(ii) मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने की मौद्रिक नीति की प्रतिबद्धता की विश्वसनीयता बनी रहेगी और इसके कारण मध्य-अवधि अपेक्षाएं नियंत्रित रहेंगी;

(iii) नीति कार्रवाईयाँ इस मुद्दे को प्रबल करेंगी कि माँग और आपूर्ति दोनों की ओर से संपूरक नीति प्रतिक्रियाओं के अभाव में मज़बूत मौद्रिक नीतिगत कार्रवाईयों की आवश्यकता है।

रिज़र्व बैंक से बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को उपलब्ध स्थायी चलनिधि सुविधाएं संशोधित रिपो दर अर्थात् 8.0 प्रतिशत से बढ़ायी गई।

चलनिधि समायोजन सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो के समय में संशोधन

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) परिचालनों के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामियाँ अब 16 अगस्त 2011 से मुंबई में सभी कार्य-दिवसों (शनिवार को छोड़कर) पर अपराह्न 4.30 बजे और 5.00 बजे के बीच आयोजित की जा रही है। चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामियाँ पूर्वाह्न 9.30 बजे और 10.30 बजे के बीच आयोजित करना जारी रहेगा। इससे पहले, रिपो और रिवर्स रिपो नीलामियाँ मुंबई में शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत पूर्वाह्न 9.30 बजे और 10.30 बजे के बीच और सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत अपराह्न 3.30 बजे और 4.30 बजे के बीच उपलब्ध थी।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा	1
बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के संबंध में विवेकपूर्ण मानदण्ड	2
डेरिवेटिव दिशानिर्देश संशोधित	2
बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत कंपनियों को जारी कर सकती हैं	3
इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण का कार्यान्वयन और वित्तीय समावेशन योजना के साथ इसका समकेंद्रण	3
फेमा	
घरेलू म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश	3
शाखा बैंकिंग	
बैंकों को चेक वापसी ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक	4
कार्ड स्वैप किए बिना किए गए लेनदेनों के लिए अतिरिक्त अधिप्रमाणन	4
भुगतान के स्वरूप का चयन करने के लिए ग्राहक को विकल्प दें	4
जाली बैंक नोटों की पहचान की क्रियाविधि संशोधित	4
बैंक खातों के माध्यम से 50,000 रुपये और उससे अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट जारी करना और उनका भुगतान करना	4

बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के संबंध में विवेकपूर्ण मानदण्ड

मौजूदा नियमों के अनुसार किसी डेरिवेटिव संविदा के धनात्मक बाजार दर आधारित मूल्य को दर्शानेवाली अतिदेय प्राप्य राशि का यदि 90 दिन या उससे अधिक अवधि तक भुगतान नहीं होता है तो वह अनर्जक आस्ति (एनपीए) मानी जाएगी। उस मामले में ग्राहक को दी गयी अन्य सभी निधि आधारित सुविधाएं भी वर्तमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार उधारकर्तावार वर्गीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जानी चाहिए। चूंकि अतिदेय प्राप्त राशियां बैंक द्वारा 'लाभ और हानि खाते' में उपचय के आधार पर पहले ही दर्शायी गयी वसूल न की गयी आय हैं, अत: ऐसी राशि को 90 दिन की अतिदेय अवधि के बाद प्रति प्रविष्टि की जानी चाहिए तथा उसे 'उचंत खाता-क्रिस्टलाइज्ड प्राप्य राशि' में उसी प्रकार रखा जाना चाहिए जैसे अतिदेय अग्रिमों के मामले में किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उन मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाओं में भविष्य में और निपटान होने की व्यवस्था हो, वहां बाजार दर आधारित (एमटीएम) मूल्य के अंतर्गत (क) प्राप्त प्राप्य राशियां और (ख) भावी प्राप्य राशियों के संबंध में धनात्मक या ऋणात्मक एमटीएम शामिल होगा । यदि अतिदेय प्राप्य राशियों का 90 दिन तक भुगतान नहीं होने पर डेरिवेटिव संविदा समाप्त नहीं की जाती है तो ऊपर दी गयी व्यवस्था के अनुसार लाभ और हानि खाते से प्राप्त प्राप्य राशियों की प्रति प्रविष्टि करने के अलावा भावी प्राप्य राशियों से संबंधित धनात्मक एमटीएम की भी लाभ और हानि खाते से प्रति प्रविष्टि करनी चाहिए और उसे "उचंत खाता - धनात्मक एमटीएम" नामक खाते में रखा जाना चाहिए। एमटीएम मूल्य में परवर्ती धनात्मक परिवर्तन 'उचंत खाता - धनात्मक एमटीएम' में जमा किया जाना चाहिए, लाभ और हानि खाते में नहीं। एमटीएम मूल्य में परवर्ती गिरावट 'उचंत खाता - धनात्मक एमटीएम' की शेष राशि में समायोजित की जानी चाहिए। यदि इस खाते की शेष राशि पर्याप्त न हो तो बाकी राशि लाभ और हानि खाते में नामे की जानी चाहिए। अतिदेय राशियों का नकद भुगतान होने पर 'उचंत खाता - प्राप्त प्राप्य राशियों' की शेष राशियां उस हद तक 'लाभ और हानि खाते' में अंतरित की जा सकती हैं, जिस हद तक भुगतान प्राप्त हुआ हो।

डेरिवेटिव दिशानिर्देश संशोधित

नीति के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007 में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी डेरिवेटिव पर परिपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है। पूर्व में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 8.3 में वर्णित किए गए अनुसार उपयोगकर्ता को डेरिवेटिव उत्पाद ऑफर करने के लिए उपयुक्तता और औचित्य नीति संबंधी दिशानिर्देशों को निम्नलिखित अतिरिक्त मदों को शामिल करने हेतु संशोधित किया गया है:

- सामान्यत: मार्केट मेकर्स को ऐसे यूजर्स के साथ डेरिवेटिव लेनदेन नहीं करने चाहिए अथवा उन्हें स्ट्रक्चर्ड उत्पाद नहीं बेचने चाहिए जिनके पास जोखिम प्रबंधन के संबंध में ऐसी सुप्रलेखित नीतियां नहीं हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम की पहचान, प्रबंधन और नियंत्रण के संबंध में दिशानिर्देश रहते हैं।
- ग्राहकों को डेरिवेटिव उत्पाद ऑफर करने के पहले, बैंकों को संबंधित कंपनी के बोर्ड से एक संकल्प प्राप्त करना चाहिए जिसमें कंपनी के संबंधित अधिकारी को कंपनी की ओर से डेरिवेटिव लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो । कंपनी द्वारा प्रस्तुत बोर्ड संकल्प में:
  - क) ऐसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है;
  - ख) इसमें उन उत्पादों का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए जिनमें लेनदेन किया जा सकता है;
  - ग) अंतर्राष्ट्रीय स्वैप और डेरिवेटिव संघ और इसी प्रकार के करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम का उल्लेख होना चाहिए;
  - घ) किसी व्यक्ति को दी गयी सीमा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए; और
  - ङ) ऐसे व्यक्तियों के नाम दिये जाने चाहिए जिन्हें बैंक लेनदेन की रिपोर्ट करेगा। ये कार्मिक उनसे अलग होंगे जिन्हें लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

यूजर के साथ डेरिवेटिव लेनदेन करते समय अथवा उसे स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव उत्पाद बेचते समय मार्केट मेकर को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए :

(i) कोई भी बैंक उस उत्पाद में बाजार निर्माता नहीं बन सकता जिसमें वह स्वतंत्र रूप से मूल्य निर्धारण न कर सके। यह उन सौदों पर भी लागू होगा जो बैक-टु-बैक आधार पर किये जाते हैं। इसी प्रकार भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंक खास उत्पादों के बाजार निर्माता तभी बन सकते हैं जब भारत में स्थानीय रूप से उन उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने की उनके पास क्षमता हो । ऐसे उत्पादों का मूल्य निर्धारण सब समय स्थानीय रूप से दर्शाया जाना चाहिए, खास कर जब भी भारतीय रिज़र्व बैंक इस प्रकार का प्रमाण मांगे।

ii) बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे कंपनियों से बोर्ड संकल्प प्राप्त करें जिनमें निम्नलिखित बातें कही गयी हों :

क) कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंध नीति है जो उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित है तथा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- जोखिम की पहचान, माप और नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देश।
- पोजीशनों के पुनर्मूल्यांकन और निगरानी के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश।
- लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारियों के नाम और पदनाम और उन्हें दी गई सीमाएं।
- यह अपेक्षा कि किसी पदाधिकारी को एक निर्दिष्ट सीमा दी जाएगी और यदि दी गयी सीमा मात्रात्मक रूप में न हो तो बैंक उक्त ग्राहक को तभी डेरिवेटिव उत्पाद ऑफर करेगा जब निर्दिष्ट सीमा देने के प्रमाणस्वरूप समुचित दस्तावेज प्राप्त हो जाए।
- डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में अनुसरण की जाने वाली लेखांकन नीति और प्रकटीकरण मानदंड।
- यह अपेक्षा कि एमटीएम मूल्यांकन समुचित रूप से प्रकट हो।
- यह अपेक्षा कि प्रंट, मिडल और बैक ऑफिस के बीच कार्यों का पृथक्करण सुनिश्चित हो।
- बोर्ड को आंकड़े सूचित करने की प्रणाली जिसमें लेनदेन की वित्तीय स्थिति आदि शामिल हो।

ख) लेनदेन करने के संबंध में कंपनी ने स्पष्ट दिशानिर्देश दिये हैं और परिचालनों की आवधिक समीक्षा करने तथा विनियमों का अनुपालन सत्यापित करने के लिए लेनदेनों की वार्षिक लेखा परीक्षा करने के लिए संस्थागत व्यवस्था की है।

बाजार निर्माताओं को ऐसे यूजर्स के साथ डेरिवेटिव लेनदेन तब तक नहीं करने चाहिए जब तक कि वे बोर्ड का या समकक्ष मंच का एक संकल्प दें जिसमें यह कहा गया हो कि उनके पास बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंध नीति है जिसमें ऊपर उल्लिखित ब्यौरे हैं।

'ग्राहक औचित्य तथा उपयुक्तता' समीक्षा की जिम्मेदारी मार्केट मेकर की है। बैंकों को अपने अनुपालन अधिकारी से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वह बैंक के निदेशक मंडल को एक मासिक रिपोर्ट दे जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि संदर्भित अवधि के दौरान बैंक द्वारा किये गये सभी डेरिवेटिव लेनदेनों में इस पैराग्राफ के दिशानिर्देशों सहित सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

यदि बैंक का उधारकर्ता पर अन्य डेरिवेटिव एक्सपोजर हो तो किसी डेरिवेटिव लेनदेन को एनपीए मानने पर प्राप्त/निपटान की गयी राशि के संबंध में अन्य डेरिवेटिव एक्सपोजर के एमटीएम पर भी ऊपर वर्णित तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए।

चूंकि द्विपक्षीय नेटिंग के संबंध में कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, अत: एक ही काउंटरपार्टी से/को प्राप्य राशि और देय राशि तथा एक डेरिवेटिव संविदा से संबंधित प्राप्य राशि और देय राशि की नेटिंग नहीं की जानी चाहिए।

इसी प्रकार, यदि किसी उधारकर्ता को दी गयी निधि आधारित ऋण सुविधा एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाती है तो सभी डेरिवेटिव एक्सपोजर के एमटीएम के संबंध में उपर्युक्त रीति से कार्रवाई की जानी चाहिए।

ये अनुदेश बकाया डेरिवेटिव संविदाओं और नए किये जाने वाले डेरिवेटिव लेनदेनों, दोनों पर लागू होंगे।

बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत कंपनियों को जारी कर सकती हैं

बैंकों को प्रीपेड भुगतान लिखत कारपोरेट को जारी करने की अनुमति दी गई है जिसे वे आगे इन्हें अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी कर सकते हैं। वे हैं :

i) प्रीपेड भुगतान लिखत केवल उन्हीं कारपोरेट संस्थाओं को जारी किया जा सकता है जो भारत के शेयर बाजारों में से किसी एक में सूचीबद्ध हो।

ii) कर्मचारी की पहचान के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित कारपोरेट की होगी. कारपोरेट द्वारा जिन कर्मचारियों को कार्ड जारी किये जाते हैं उनके फोटो तथा पहचान प्रमाण की प्रतियों सहित उनका विवरण प्राप्त करने और उन्हें बनाये रखने हेतु बैंकों को एक उचित प्रणाली बनानी चाहिए. कारपोरेट को भी कर्मचारियों के बैंक खातों का विवरण (यदि कोई हो) बैंक को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

iii) बैंक सुनिश्चित करें कि कारपोरेट संस्था के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची रिकॉर्ड में रख ली गयी है और केवल ऐसे अधिकृत व्यक्तियों से ही प्रीपेड भुगतान लिखतों को लोड करने/सक्रिय करने के अनुरोध स्वीकार किये जाएं।

iv) ये प्रीपेड भुगतान लिखत केवल उस बैंक खाते को नामे करके ही लोड/रिलोड किये जाने चाहिए, जो कि पूर्ण केवाईसी के अधीन होगा तथा कारपोरेट द्वारा उसी बैंक में रखा गया है।

v) किसी भी समय व्यक्तिगत प्रीपेड भुगतान लिखतों का अधिकतम बकाया मूल्य ₹ 50,000/ से अधिक नहीं होगा।

vi) बैंक ऐसे प्रीपेड भुगतान लिखतों से संबंधित कर्मचारी के नियमित बैंक खाते में निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करेगा यदि इसके लिए अनुरोध किया जाता है।

vi) इन लिखतों से संबंधित सभी ग्राहक सेवा मामलों के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण का कार्यान्वयन और वित्तीय समावेशन योजना के साथ इसका समकेंद्रण

स्पष्ट अवधारणात्मक समझ के लिए तथा विस्तृत परामर्शी बैठकों के आधार पर एवं स्टेक धारकों के साथ इंटरफेस में 'इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (इबीटी) के कार्यान्वयन पर परिचालनात्मक दिशानिर्देश तथा वित्तीय समावेशन योजना (एफआइपी) के साथ इसके समकेंद्रण को तैयार किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ ये दिशानिर्देश प्रस्तावित करते हैं कि एक जिले में कई बैंक और एक अग्रणी बैंक प्रतिदर्श अबसे इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए अंगीकृत किए जाएं तथा अंतरण की इस योजना के अंतर्गत वे एक आदर्श कार्य प्रवाह उपलब्ध कराएं। इन दिशानिर्देशों से यह अपेक्षा है कि वित्तीय समावेशन के प्रयासों में कमी को पूरा किया जा सके तथा एक उन्नतशील और अनिवार्य समावेशन प्रतिदर्श का अग्रणी बन सके। न्यूनतर मूल्य के खातों के शोधन और कम सेवा वाले निम्न आयवर्ग के क्षेत्रों हेतु बैंकिंग मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण को 'एक जिले में एक बैंक' प्रतिदर्श के अंतर्गत चयनित जिलों में प्रायोगिक आधार पर राज्यों में कार्यान्वित किया गया है। अब तक प्राप्त अनुभव यह प्रस्तावित करते हैं कि 'एक जिला - एक बैंक' प्रतिदर्श वित्तीय समावेशन का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सका है। वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत बैंकों के बीच गाँवों का आबंटन अर्थात् दो हजार से अधिक आबादी वाले गाँवों में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने की रूपरेखा सामान्यत: सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर रही है। इससे ऐसी स्थिति बनी है जिसमें एक ही गाँव में इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण के लिए और वित्तीय समावेशन योजना के लिए पदनामित बैंक अलग-अलग हैं।

फेमा

घरेलू म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश

अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) संबंधी सेबी की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले अनिवासी निवेशकों (सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) तथा विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों (एफवीसीआइ) के अलावा), जिन्हें इसके बाद 'अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक' (क्यूएफआइ) कहा गया है, को सेबी के पास पंजीकृत घरेलू म्यूचुअल फंडों द्वारा जारी इन योजनाओं की रुपए में मूल्यवर्गीकृत यूनिटों को क्रय करने की अनुमति सेबी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी शर्तों के तहत दी गई है। सेबी के पास पंजीकृत घरेलू म्यूचुअल फंडों द्वारा जारी घरेलू म्यूचुअल फंडों की ईक्विटी योजनाओं की रुपए में मूल्यवर्गीकृत यूनिटों में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के माध्यम से अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक दो मार्गों से निवेश कर सकते हैं - अर्थात प्रत्यक्ष मार्ग - सेबी के पास पंजीकृत डिपाजिटरी सहभागिता (डीपी) मार्ग से और अप्रत्यक्ष मार्ग - यूनिट पुष्टिकरण रसीद मार्ग से बशर्ते निम्नलिखित का पालन किया जाता है :

सामान्य परिस्थितियाँ

i) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों के लिए दोनों ही मार्गों से निवेश की उच्चतम सीमा 10 बिलियन अमरीकी डालर होगी। इस उच्चतम सीमा की गणना के लिए सभी अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा घरेलू म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए निवेश की कुल राशि तथा एकल (सिंगिल) रुपया पूल बैंक खाते में डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के पास रखी राशि का योग किया जाएगा। सेबी दैनिक आधार पर 10 बिलियन अमरीकी डालर की उच्चतम सीमा की निगरानी करेगा।

ii) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा उक्त दोनों मार्गों से निवेश घरेलू म्यूचुअल फंडों द्वारा सीधे जारी यूनिटों में किया जाएगा और सेकेंडरी बाजार से ऐसी खरीद की अनुमति नहीं होगी।

iii) एफएटीएफ मानकों का पालन करने वाले और आईओएससीओ के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता क्षेत्रों के अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक ही घरेलू म्यूचुअल फंडों की योजनाओं में निवेश करने के पात्र होंगे।

iv) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) संबंधी मानदण्डों का अनुपालन कर रहे हैं, इसे डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) सुनिश्चित करेंगे।

v) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा केवाईसी का अनुपालन किया जा रहा है, इसे घरेलू मुचुअल फंड भी सुनिश्चित करेंगे।

vi) इस योजना के तहत अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों को जारी यूनिटों तथा यूसीआर की न तो ट्रेडिंग की जा सकेगी और न ही वे हस्तांतरणीय होंगे।

प्रत्यक्ष मार्ग

vii) डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) द्वारा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास रखे गए अपने अलग एकल रुपया पूल बैंक खाते से डीपी मार्ग का परिचालन किया जाएगा। अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों से इस मद में प्राप्त निधियाँ अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों से निधियाँ प्राप्त होने पर उसी दिन या यदि कारोबार की समाप्ति के बाद धनराशि मिली हो तो अगले दिन घरेलू मुचुअल फंड को प्रेषित (रेमिट) कर दी जाएंगी, अन्यथा निधियाँ अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों के समुद्रपारीय बैंक खातें में तुरंत प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी। घरेलू म्यूचुअल फंडों से इन यूनिटों के मोचन/की अदायगी पर मिली राशियां भी इसी खाते में जमा की जाएंगी और डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के एकल रुपया पूल बैंक खाते में उनके प्राप्त होने के दो कार्य-दिवसों में उन्हें अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों के समुद्रपारीय बैंक खातें में प्रत्यावर्तित किया जाएगा। संदर्भित दो दिनों में मोचन/अदायगी पर मिली राशियों का उपयोग अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक इस योजना के अंतर्गत और निवेश करने के लिए कर सकते हैं। डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के एकल रुपया पूल बैंक खाते में विदेशी

प्रत्येक महीने के कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चैनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**

आवक प्रेषण केवल अनुमत मुद्रा (अर्थात मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्रा) में प्राप्त किए जाएंगे। अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा धारित यूनिटों पर देय लाभांश घरेलू म्यूचुअल फंडों द्वारा अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों के समुद्रपारीय बैंक खाते में सीधे प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

viii) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों को विभिन्न घरेलू म्यूचुअल फंडों की ईक्विटी योजनाओं में रुपए में मूल्यवर्गीकृत यूनिटों में निवेश करने के लिए भारत में किसी डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के पास एक डिमैट खाता खोलने की अनुमति होगी। तथापि, अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों को भारत में बैंक खाते खोलने की अनुमति नहीं होगी।

अप्रत्यक्ष मार्ग

ix) घरेलू म्यूचुअल फंडों को अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों से अभिदान/अंशदान प्राप्त करने तथा यूसीआर के मोचन/अदायगी के सीमित प्रयोजन के लिए भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति होगी।

x) घरेलू म्यूचुअल फंडों की ईक्विटी योजनाओं की यूनिटों के बदले यूनिट पुष्टिकरण रसीदें (यूसीआर) जारी की जाएंगी।

अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों को (शर्तों के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही मार्गों से) 5 वर्ष की न्यूनतम अवशिष्ट देयता अवधि वाले इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज में निवेश करने वाली घरेलू म्यूचुअल फंडों की योजनाओं में अतिरिक्त 3 बिलियन अमरीकी डालर तक निवेश करने की अनुमति दी जाए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों द्वारा जारी कारपोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश की जाने वाली 25 बिलियन अमरीकी डालर की मौजूदा सीमा के भीतर होगी।

अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा घरेलू म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में उल्लिखित निवेश करते समय फेमा अधिसूचना उपबंधों का भी अनुपालन किया जाएगा।

शाखा बैंकिंग

बैंकों को चेक वापसी ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक

रिज़र्व बैंक ने यह दुहराया है कि चेकों का अस्वीकरण/वापस होने पर चेक वापसी ज्ञापन में 'वापसी तारीख' का उल्लेख करना आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने की स्थिति में दस्तावेज़ का महत्व बताते हुए यह संकेत किया गया है कि बिना भुगतान के वापस किये गये लिखतों पर हस्ताक्षर/आद्यक्षर की हुई आपत्ति पर्ची होनी चाहिए जिस पर भुगतान से मना करने का निश्चित और वैध कारण का उल्लेख अवश्य होना चाहिए जैसा कि बैंकर समाशोधन गृह के लिए एक समान विनियम एवं नियम (यूआरआरबीसीएच) के नियम 6 में निर्धारित है।

इसे दुहराना आवश्यक था क्योंकि कई बार हमारे ध्यान में यह बात लायी गई है कि बैंक इसीलिए चेक वापसी ज्ञापनों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ज्ञापन कंप्यूटर जनित हैं और इसलिए इन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है।

अल्प खाता

"अल्प खाता" का तात्पर्य किसी बैंकिंग कंपनी में बचत खाता है जिसमें (i) एक वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र जमा राशि एक लाख रुपये से अधिक नहीं होती है; (ii) किसी एक महीने में सभी आहरणों और अंतरणों की राशि मिलाकर दस हजार रुपये से अधिक नहीं होती है तथा (iii) किसी भी समय खाते में शेष राशि पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होती है।

आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज

"आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" की परिभाषा का दायरा भी बढ़ा दिया गया है ताकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों अथवा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइएआइ) द्वारा जारी पत्रों को शामिल किया जा सके जिनमें नाम, पता तथा आधार संख्या दी गई हो। यदि किसी बैंक ने केवल इन्हीं दो में से किसी एक दस्तावेज़ अर्थात् नरेगा जॉब कार्ड अथवा 'आधार' पत्र को ही कोई खाता खोलने के लिए अपेक्षित पूरा केवाइसी दस्तावेज माना हो तो इस प्रकार खोले गए बैंक खाते पर भी अधिसूचना के अंतर्गत अल्प खाते के लिए निर्धारित शर्तें और सीमाएं लागू होंगी।

कार्ड स्वैप किए बिना किए गए लेनदेनों के लिए अतिरिक्त अधिप्रमाणन

रिज़र्व बैंक ने (i) उपयोगिता सेवाओं की श्रेणी का उल्लेख करते हुए कार्ड धारकों द्वारा व्यापारियों को दिए गए स्थायी अनुदेशों पर आधारित आवर्ती लेनदेन और (ii) यात्रा और होटल उद्योग बुकिंग तथा अन्य डाक आदेश/दूरभाष आदेश लेनदेन सहित कार्ड स्वैप किए बिना किए गए सभी लेनदेनों को अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक के केंद्र में लाना अनिवार्य किया है। उपर्युक्त दो मदों के संबंध में अधिप्रमाणन का अतिरिक्त कारक 01 मई 2012 से लागू किया जाए। यह अनिवार्य किया गया है कि निर्धारित तारीख के बाद अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक के बिना किए गए लेनदेन से उत्पन्न मुद्दो से संबंधित ग्राहक की किसी शिकायत के मामले के संबंध में जारीकर्ता बैंक ग्राहक को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति बिना किसी विलंब शुल्क से करेगा।

भुगतान के स्वरूप का चयन करने के लिए ग्राहक को विकल्प दें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुन: यह कहा है कि सहभागिता करने वाले सभी बैंक ग्राहकों को शाखा में अथवा इंटरनेट के माध्यम से अथवा अन्य किसी साधन से निधि अंतरण शुरू करते समय तत्काल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) के बीच विकल्प चुनने का अवसर उपलब्ध कराएं। आरटीजीएस और एनइएफटी ग्राहकों के लिए थोक और खुदरा भुगतान खण्डों में विशिष्ट उद्देश्य से तथा भुगतान के सामयिक महत्व के मामले में अनोखी विशेषता, लेनदेन के शुरूआती मूल्य, निपटान के स्वरूप आदि वाले दो महत्वपूर्ण पैन-इंडिया भुगतान के स्वरूप हैं। अत: इन दोनों प्रणालियों में लेनदेन के लिए लगाए जाने वाले प्रभार भी भिन्न हैं।

जाली बैंक नोटों की पहचान की क्रियाविधि संशोधित

रिज़र्व बेंक ने भारत सरकार के परामर्श से जाली बैंक नोटों की पहचान के लिए अपनी क्रियाविधि में संशोधन किया है। क्रियाविधि को संशोधित यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया ताकि बैंक शाखाओं/तिज़ोरियों पर जाली नोटों की पहचान के सभी मामले तुरंत पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट किए जा सकें। तदनुसार, एकल लेनदेन में चार जाली नोटों की पहचान के मामलों के लिए निर्धारित फॉर्मेट के अनुरूप एक समेकित रिपोर्ट महीने के अंत में पुलिस प्राधिकारियों को भेजी जानी चाहिए। एकल लेनदेन में पाँच अथवा उससे अधिक जाली नोटों की पहचान के मामलों में पुलिस प्राधिकारियों के पास एफआइआर दर्ज की जानी चाहिए। इससे पहले चाहे जाली नोटों की संख्या कितनी भी हो जाली नोट की पहचान के प्रत्येक मामले के संबंध में एफआइआर दर्ज करना आवश्यक होता था।

बैंक खातों के माध्यम से 50,000 रुपये और उससे अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट जारी करना और उनका भुगतान करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अपनी यह बात दुहराई है कि 50,000 रुपये और उससे अधिक राशि के सभी डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर, तार अंतरण और यात्री चेक केवल ग्राहक के खाते को नामे करके या ग्राहक द्वारा दिए गए चेक या अन्य लिखतों के बदले जारी करने चाहिए, नकद भुगतान के बदले नहीं। ये अनुदेश स्वर्ण/चाँदी/प्लैटिनम की खुदरा बिक्री पर भी लागू होंगे। वर्तमान परिदृश्य में, जहाँ आम तौर पर वित्तीय प्रणाली की तथा खास तौर पर बैंकिंग माध्यमों की सत्यनिष्ठा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन और बैंकिंग माध्यम का दुरूपयोग गंभीर विनियामक चिंता का विषय है, यही बात रिज़र्व बैंक ने अपने अनुदेशों में कही है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।